फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री मांगीलाल बनाम विपक्षी : श्रीमती मोहनीबाई व अन्य

किस्म मुकदमा – 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 03/2022

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 04.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 की पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी वारिस कायमी नहीं कराई।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि आदेशिका दिनांक 25.01.2025 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 फौत होना जाहिर किया। अधिवक्ता प्रार्थी को निरन्तर व पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी वारिस कायमी नहीं कराई गई। उक्त वारिस कायमी का प्रार्थना पत्र 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वारिस कायमी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये 90 दिनों से अधिक का समय हो गया है बावजूद वारिस कायमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 की आराजी से ही रास्ता चाहा गया था जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी वारिस कायमी नहीं कराई है जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार बचा नहीं रहता है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इसी स्तर पर अबेट कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:49:13 IST
Reason: SelfAttested